(8)

सनुवाई 10/01/2017

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक एफ 16–09/2012/पी–2/31 भोपाल, दिनांक / /2016

प्रति,

श्री जे.के. तिवारी(से.नि.)
तत्कालीन कार्यपालन यंत्री,
महान नहर संभाग, सीधी, म.प्र.

द्वाराः–प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल

विषयः–विभागीय जॉच विरूद्ध–श्री जे.के. तिवारी (से.नि.), तत्कालीन कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी।

महान नहर संभाग, सीधी अंतर्गत पदस्थापना की अवधि के दौरान आपके द्वारा की गई अनियमितताओं संबंधी विभागीय जॉच प्रकरण में जॉचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन की प्रति आपकी ओर संलग्न प्रेषित है। इस संबंध में आप अपना अभ्यावेदन दिनांक 10/01/2017 के पूर्व इस विभाग में प्रस्तुत करें।

उपरोक्त के संबंध में प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा दिनांक 10/01/2017 को सुनवाई नियत की है।

अतः आप उक्त तिथि/समय पर प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग के कक्ष क्रमांक 407 चतुर्थ तल, मध्यप्रदेश, मंत्रालय, भोपाल में उपस्थित होकर आप अपना पक्ष आवश्यक अभिलेखों के साथ रख सकते है। आपकी अनुपस्थिति की दशा में यह मानते हुए कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न :–जॉच प्रतिवेदन की प्रति

(आर.पी.एस. जादौन)
उप सचिव
म.प्र. शासन,जल संसाधन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 16–09/2012/पी–2/31 भोपाल, दिनांक 21/12/2016

प्रतिलिपि :–

1. स्टाफ ऑफीसर, प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।(कृपया अपने स्तर से संबंधित को सूचना पत्र जांच प्रतिवेदन सहित तामील कराकर तामीली पावती विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. संचालक, डॉटा सेंटर, जल संसाधन विभाग, भोपाल। कृपया वेबसाईट पर पत्र एवं सहपत्रों को प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

उप सचिव
म.प्र. शासन,जल संसाधन विभाग

C:\Users\hcl\Documents\KHAN---Application.doc

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग

विभागीय जॉच प्रकरण क्रमांक 16-09/2012 /पी-2/31

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

सक्षम प्राधिकारी

विरुद्ध

1. श्री जे.के.तिवारी - तत्कालीन कार्यपालन यंत्री

अपचारी अधिकारीगण

जॉच प्रतिवेदन
(दिनांक 07/11/2014)

प्रकरण में अपचारी अधिकारी श्री जे.के.तिवारी - तत्कालीन कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम- 14(5)(ख) के अंतर्गत आदेशित विभागीय जॉच हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता को दिनांक 24 अप्रैल, 2014 को जॉचकर्ता अधिकारी एवं सहपठित नियम14(5) (ग) के अंर्तगत कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग, सीधी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया। जॉच में दिनांक 18.05.2012 को आरोप पत्र जारी किये गये थे। श्री जे.के.तिवारी, द्वारा कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग, सीधी के पद पर रहते हुए की गई अनियमितताओं के संबंध में है। श्री जे.के.तिवारी ने उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप अस्वीकार किये हैं।

प्रकरण में दिनांक 19 मई, 2014, 06 एवं 07 जून, 2014, 25 एवं 26 जून, 2014, 25 एवं 26 जुलाई, 2014 को सुनवाई हेतु पेशी नियत की गई थी। दि. 19 मई, 2014 की सुनवाई में श्री जे.के.तिवारी उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 06 एवं 07 जून, 2014 को भी श्री तिवारी उपस्थित नहीं हुए लेकिन श्री तिवारी की निरंतर अनुपस्थिति एवं असहयोगात्मक रवैये को देखते हुए प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को अनुमति दी गई कि वह मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करें। दि. 17 जुलाई, 2014 को श्री तिवारी ने उपस्थित होकर प्रकरण में आरोप अस्वीकार करते हुए मौखिक सुनवाई चाही तथा कतिपय अभिलेखो की मांग की। दि. 25 एवं 26 जुलाई, 2014 को श्री तिवारी पुन: उपस्थित नहीं हुए जिसके अभाव में वह मौखिक साक्षियों के कूट परीक्षण से वंचित रहे। श्री जे.के.तिवारी को दिए गए पर्याप्त अवसरो के उपरांत भी उनके द्वारा रूचि न लिए जाने के कारण प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

LetterZ

120

को दि. 19 अगस्त, 2014 तक ब्रीफ प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। दि. 04 अगस्त, 2014 को श्री जे.के.तिवारी ने उपस्थित होकर अनुरोध किया कि वह 19 अगस्त, 2014 के पूर्व अपने पक्ष में लिखित कथन समर्थन अभिलेखों के साथ प्रस्तुत कर देंगे अत: उन्हें पक्ष रखने का अवसर दिया जाए। चाही गई अनुमति देते हुए श्री तिवारी को स्पष्ट किया गया कि यदि उक्त दि. तक वह अपना बचाव प्रस्तुत नहीं करते है तो प्रकरण में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी। दि. 16 अगस्त, 2014 को श्री जे.के.तिवारी द्वारा उनका विस्तृत बचाव स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इस जांच अवधि में श्री जे.के.तिवारी द्वारा बहुत सा अनावश्यक पत्राचार कर प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब के प्रयास किए जाते रहे जिस पर अधोहस्ताक्षरकर्ता के पत्र दि. 13 अगस्त, 2014 द्वारा श्री तिवारी को लिखा गया कि उनके द्वारा अनावश्यक रूप से असंगत अभिलेखों की मांग की जा रही है जबकि अभिकथन पत्रक से निर्मित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए संगत अभिलेख प्राप्त करने का ही उन्हें अधिकार है। इसके साथ ही उन्हें यह स्पष्ट किया गया कि प्रकरण में निहित प्रश्न क्या हैं और यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रकरण में निहित प्रश्न केवल अभिलेखों के आधार पर निष्कर्षित हो सकते हैं, अत: प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य विचार में नहीं लिये जायेंगे।

2. अपचारी अधिकारी के विरुद्ध लगाया गया एकल आरोप निम्नानुसार है:

क. श्री जे.के.तिवारी - तत्कालीन कार्यपालन यंत्री

अ. आरोप क्रमांक-1 :-

अनुविभागीय अधिकारी, महान नहर उपसंभाग, सिमरिया एवं संबंधित उपयंत्री द्वारा संभागीय कार्यालय में अनुबंध क्रमांक 1/डी.एल./2005-05 के अंतर्गत रूपये (-) 20,84,318.00 का अंतिम देयक अभिलेखों सहित प्रस्तुत किया गया, जिसे आपने काल्पनिक एवं मनगढंत मात्राओं के आधार पर रूपये 40,21,106.00 का तैयार करवाकर पारित कर शासन को रूपये 61,05,424.00 की आर्थिक हानि पहुंचाने एवं ठेकेदार को उक्त राशि का अनुचित लाभ देने की कूटरचना की। (विस्तृत विवरण अभिकथन पत्र में दिया गया है)

इस प्रकार म.प्र.सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3, म.प्र.वित्त संहिता भाग-1 नियम 8,9 तथा म.प्र.कार्य नियमावली 1983 भाग-2 के पार्ट-1 के एपेंडिक्स 1.26 का उल्लंघन कर म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 एवं म.प्र.सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 9 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया।

7.11.14

2. **विभागीय मौखिक साक्ष्य:**

प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा 2 मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे जिनका कूट परीक्षण अपचारी शासकीय सेवक द्वारा नहीं किये जाने की स्थिति में प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य विचार में नहीं लिया गया एवं अभिलेखों के आधार पर आरोप की विवेचना की गई है।

3. **अपचारी शासकीय सेवक का कथन एवं आरोप की विवेचना :-**

प्रकरण से संबंधित जो विचार बिन्दु अभिकथन पत्रक से उदभूत होते हैं उनके संबंध में जांच में पाई गई तथ्यात्मक स्थिति निम्नानुसार है :-

श्री जे.के.तिवारी दि. 4.10.08 से दि. 24.09.09 तक कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी में पदस्थ रहे। महान नहर के कि.मी. 18.20 से कि.मी. 22.50 तक एवं 10 नग पक्के कार्य तथा माइनर क्रमांक 10 एवं 11 के कार्य हेतु मेसर्स हाईड्रोमिलर एण्ड कंपनी से अनुबंध क्रमांक 1/डीएल/2005-06 श्री तिवारी के कार्यकाल के पूर्व दिनांक 16/07/2004 को संपादित किया गया। इस अनुबंध के अंतर्गत कार्यादेश दिनांक 16/07/2004 को जारी किया गया। उक्त अनुबंध के अंतर्गत कार्य पूर्ण करने की अवधि वर्षाकाल छोड़कर 15 माह थी। अनुविभागीय अधिकारी महान नहर उपसंभाग सिमरिया एवं संबंधित उपयंत्री द्वारा उपसंभाग के पत्र क्रमांक 110/अनु.लि./दिनांक 27.10.08 द्वारा संभागीय कार्यालय में रूपये 20,84,318.00 का ऋणात्मक अंतिम देयक अभिलेखों सहित प्रस्तुत किया गया। संभागीय कार्यालय में कोई ऐसा संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था जिसके आधार पर प्रस्तुत अंतिम देयक से संबंधित मापों की जांच किसी स्वतंत्र माध्यम से करने की आवश्यकता उत्पन्न होती। कार्यपालन यंत्री के पत्र क्रं. 3329/अनु.लि./08 दिनांक 18.11.08 द्वारा उक्त देयक से संबंधित कार्य की जांच हेतु 5 सदस्यीय दल का गठन किया गया एवं उक्त दल को ऐसे निर्देश दिये गये कि जांच उपरांत अंतिम देयक तैयार किया जाए। इस जांच दल में कार्य से संबंधित किसी अनुविभागीय अधिकारी अथवा उपयंत्री को सम्मिलित नहीं किया गया।

जांच दल में निम्न सदस्य सम्मिलित किए गए थे :-

क्रं.	सदस्य का नाम एवं पद	समिति में पद
1.	श्री एच.जी.शुक्ला, अनुविभागीय अधिकारी, सर्वे उपसंभाग, सीधी	अध्यक्ष
2.	श्री एस.एन.गर्ग, अनुविभागीय अधिकारी, बरचर स्पिलवे उपसंभाग, रामपुर	सदस्य
3.	श्री राजेन्द्र सिंह, उपयंत्री, सर्वे उपसंभाग, सीधी	सदस्य
4.	श्री आर.के.खरे, उपयंत्री, महान टनल उपसंभाग, खड्डी	सदस्य
5.	श्री एस.पी.चक्रवर्ती, उपयंत्री, महान नहर उपसंभाग, सिमरिया	

समिति के गठन के पूर्व दिनांक 27.10.08 को प्रस्तुत अंतिम देयक का परीक्षण संभागीय कार्यालय में किया गया। म0प्र0 कार्य नियमावली 1983 भाग-2 के अपेंडिक्स 1.26 के

LetterZ

17z

अनुसार कार्यपालन यंत्री के दायित्वों में यह सम्मिलित है कि वह कार्य स्थल पर भौतिक मात्राओं का स्वयं सत्यापन करेंगें। उक्त समिति के परीक्षण उपरांत जो देयक तैयार किया गया उसकी राशि 40,21,106.00 धनात्मक थी। ऐसी स्थिति में विवादित माप का सत्यापन स्वयं तत्कालीन कार्यपालन यंत्री श्री जे.के.तिवारी द्वारा किया जाना अपेक्षित था लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। श्री जे.के.तिवारी का यह कृत्य उनकी दुर्भावना को स्पष्ट करता है।

अपचारी अधिकारी श्री तिवारी द्वारा उनके उत्तर दिनांक 16.08.2014 में जो कथन किए गए है उनमें से अधिकांशता प्रकरण से असंगत है और प्रकरण की विषयवस्तु से हटकर है। प्रकरण में जो प्रश्न अभिकथन से निर्मित होते है वह स्पष्ट है और श्री तिवारी को जांचकर्ता अधिकारी के पत्र दिनांक 13 अगस्त, 2014 द्वारा सूचित भी किये गये थे। श्री तिवारी द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न होने की स्थिति बार-बार इंगित की गई है जिसका आधार उनके द्वारा यह लिया गया है कि उनके द्वारा चाहे गए अभिलेख उन्हें उपलब्ध नहीं कराए गए। इसी बिन्दु को वह बार-बार अपने विभिन्न पत्रों में उठाते आये है और इस पर उन्हें बार-बार स्पष्ट किया गया है कि उन्हें वह सभी अभिलेख देखने का अधिकार है जिनपर आरोप आधारित है। विभागीय जांच का अभिकथन पत्रक जिन साक्ष्यों पर आधारित है वह अभिलेखीय स्वरूप के हैं और उनसे बचाव का अवसर श्री तिवारी को बार-बार दिया गया लेकिन उनके द्वारा प्रकरण के घटना-काल से पूर्व एवं पश्चात की घटनाओं से संबंधित अभिलेख मांगे जाते रहे है। वस्तुत: श्री तिवारी द्वारा स्वंय का पक्ष रखने के स्थान पर ऐसे असंगत बिन्दु बार-बार उठाए गए जो जांच कार्यवाही में बाधा उत्पन्न कर सकें। जांच में यह पाया गया है कि लगभग रू. 20,84,318/- ऋणात्मक राशि का जो देयक प्रस्तुत हुआ वह वास्तव में ठेकेदार को पूर्व में किए गए अधिक भुगतान का परिणाम रहा है जो श्री तिवारी के कार्यकाल से संबंधित नहीं है। इसी निरंतरता में यह पाया गया है कि मेन्युअल वित्तीय संहिता अनुबंध एवं विभागीय परिपत्रो को अनदेखा करते हुए श्री तिवारी द्वारा उनके स्तर से एक जांच दल मौके की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए गठित किया गया लेकिन उक्त जांच दल का प्रतिवेदन प्राप्त किए बिना ही उनके द्वारा माप पुस्तिका में एक उपयंत्री विशेष द्वारा अभिलिखित किए गए मात्रा योग (माप नहीं) के आधार पर रू. 40,21,106/- का धनात्मक देयक पारित किया गया। उपयंत्री द्वारा जो मात्रा योग माप पुस्तिका में अभिलिखित किया गया उससे संबंधित साईट मेजरमेंट बुक, ग्राफ माप पुस्तिका, लेवल बुक आदि ऐसे अभिलेख जो माप की प्रमाणिकता सिद्व करते हों प्राप्त किए बिना ही श्री जे.के.तिवारी द्वारा जो देयक पारित किया गया वह कूटरचना का स्पष्ट प्रमाण है। अभिलेखों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि संभागीय कार्यालय के स्तर पर तकनीकी प्रकोष्ट अथवा अंकेक्षक द्वारा माप-पुस्तिकाओं का नियमानुसार परीक्षण नहीं किया गया और इसके बिना ही कार्यपालन यंत्री द्वारा देयक पारित किया गया। इस प्रकार देयक भुगतान से संबंधित निर्धारित प्रक्रिया का जानबूझकर पालन न करना अपचारी

7.11.14

अधिकारी की दुर्भावना स्पष्ट दर्शाता है। प्रकरण में यद्यपि कोई वास्तविक भुगतान नहीं हुआ है लेकिन शासकीय पद पर रहते हुए अपचारी अधिकारी द्वारा जो कृत्य किया गया वह म0प्र0 आचरण नियम 1965 के नियम 3 में कर्तव्य परायणता एवं संनिष्ठा के संबंध में की गई अपेक्षाओं का स्पष्ट उल्लंघन है और दर्शाता है कि उनके द्वारा संनिष्ठ रहकर कार्य नहीं किया गया और कूट रचना द्वारा शासन को वित्तीय क्षति पहुंचाने की दुर्भावना से कार्य किया गया।

4. **जांच निष्कर्ष :-**

पाया गया है कि अपचारी शासकीय सेवक द्वारा काल्पनिक एवं मनगढंत मात्राओं के आधार पर शासन को रूपये 61,05,424.00 की आर्थिक हानि पहुंचाने एवं ठेकेदार को उक्त राशि का अनुचित लाभ देने की दुर्भावना से अपने पद का दुरुपयोग कर कूटरचना की एवं आचरण नियम 1965 के नियम 3, म.प्र.वित्त संहिता भाग-1 नियम 8,9 तथा म.प्र.कार्य नियमावली 1983 भाग-2 के पार्ट-1 के एपेंडिक्स 1.26 का उल्लंघन कर म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 एवं म.प्र.सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 9 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का दोषी बना लिया।

(तिलक राज कपूर) 2.11.11
अपर सचिव एवं
जांचकर्ता अधिकारी